35

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3748–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 129/13–14/अपील.

1– आमीर पुत्र सनद खॉ
2– मोहसिन पुत्र सनद खॉ
3– शबनम पुत्री सनद खॉ
4– सोनी पुत्री सनद खॉ
5– हिना पुत्री सनद खॉ
6– नजमा पुत्री स्व. मेहबूब खॉ
7– सलमा पुत्री स्व. मेहबूब खॉ
निवासीगण जगनापुरा ग्वालियर ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– महाराज सिंह पुत्र काशीराम
2– लल्ला सिंह पुत्र काशीराम
3– मुन्ना पुत्र काशीराम
4– पप्पू पुत्र काशीराम
5– सरनाम सिंह पुत्र काशीराम
6– इकलाख पुत्र बाबू खॉ (मृत) वारिसान :–
6.1– रजिया बेगम बेवा इकलाख खॉ
6.2– इमरान पुत्र इकलाख खॉ
6.3– सलमान पुत्र इकलाख खॉ
6.4– अफरोज पुत्र इकलाख खॉ
6.5– हजारा पुत्र इकलाख खॉ
6.6– जूली पुत्री इकलाख खॉ
निवासीगण मेवाती मोहल्ला,
घासमण्डी, ग्वालियर
7– सिराज पुत्र बाबू खॉ
8– हबीब पुत्र बाबू खॉ
9– अयूब खां पुत्र मेहबूब खां
10– आरिफ पुत्र सनद खॉ
11– सारिक पुत्र सनद खॉ
12– मुस. मुन्नी बेवा रसीद खॉ
13– मजीद खॉ पुत्र रसीद खॉ

14– छोटे खॉ पुत्र रसीद खॉ
15– आसवान पुत्र रसीद खॉ
नाबालिग सरपरस्त मॉ मुन्नीदेवी
निवासीगण जगनापुरा, ग्वालियर
16– रफीक पुत्र अब्दुल अजीज
17– फुलवारी पुत्री अब्दुल अजीज
पत्नी हब्बी (मृत) वारिसान :–
17.1– इस्लाम पुत्र हब्बी
17.2– रीना पुत्री हब्बी
17.3– गुड्डी पत्नी याद मोहम्मद पुत्री हब्बी
17.4– मुस्कान पुत्री याद मोहम्मद
17.5– रियाज पुत्र याद मोहम्मद
17.6– गुलवासा पुत्री याद मोहम्मद
नाबालिग सरपरस्त मॉ
स्वयं गुड्डीबाई पत्नी याद मोहम्मद
निवासीगण बीलपुरा
तहसील व जिला ग्वालियर
18– कमीशन
19– अन्नो पुत्रीगण अब्दुल अजीज
20– सलीम खॉ पुत्र बशीर खॉ
21– ईशाक खॉ पुत्र बशीर खॉ
22– सीमा पुत्री बशीर खॉ
23– नफीसा पुत्री बशीर खॉ
निवासीगण जगनापुरा, ग्वालियर
24– इन्दर सिंह पुत्र किशनलाल
निवासी नौमहल्ला, घासमण्डी, ग्वालियर
25– भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
26– रामवरन सिंह पुत्र गोपाल सिंह
निवासीगण सत्यनारायण का मोहल्ला,
घासमण्डी, ग्वालियर
27– कुलवन्त सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
निवासी जलालपुर
तहसील व जिला ग्वालियर ....अनावेदकगण

श्री बी.एस. धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 3
श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 5
श्री समीर खान, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 7, 8 व 21 से 23
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 27

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 27 कुलवन्त सिंह द्वारा तहसील न्यायालय ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम मानुपर स्थित भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 11.169 के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3/85–86/अ–27 दर्ज कर दिनांक 22–1–91 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध वर्ष 2011 में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सिटी ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–9–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2015 को आदेश परारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न बटवारा सूची दिनांक 29–9–87 के अनुसार बटवारे के आदेश प्रदान किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सहखाते की भूमि थी, जिसका बटवारा कराने का हक अनावेदक कमांक 27 कुलवन्त सिंह को नहीं था, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा विधि विपरीत मनमाने तरीके से दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना बटवारा आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि सभी सह खातेदार सहमति के आधार पर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर नामांतरण कराया जाकर खेती करते चले आ रहे हैं, और कई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर भूमि विकय की जा चुकी है, जिसमें किसी भी सहखातेदार को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु अनावेदक कमांक 27 जो कि सहखातेदार नहीं है, के द्वारा वाद व्यय बढ़ाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 27 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, न ही उसे बटवारा कराने का

अधिकार था, और न ही वह किसी भी न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पुनः बटवारा के आदेश दिये जाने से प्रकरण में अनावश्यक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के सम्बंधित अभिलेख बुलाये बिना एवं सभी पक्षकारों को विधिवत सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमाक 27 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्द बटवारे पर सभी की सहमति है । यह भी कहा गया कि यह निगरानी सर्वे कमांक 479 एवं 480 के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जो कि बटवारे में विकेता को ही प्राप्त हुई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 475 मेहबूब खॉ के वारिसों का है, और फर्द बटवारे पर मेहबूब खॉ के हस्ताक्षर हैं । यह भी कहा गया कि आवदेकगण द्वारा अब्दुल अजीज की भूमि कय की गई है, इसलिए आवेदकगण को इस निगरानी में कोई ग्रीवांस नहीं, और उनकी कोई लोकस स्टेण्डाई भी नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहमति से पारित बटवारा आदेश के विरूद्ध 40 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रचलन योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष बटवारे में सहमति दी गई है, इसलिए उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।

5/ शेष अनावेदकगण द्वारा अनावेदक कमांक 27 की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत इस निगरानी में उनके द्वारा गुण–दोष पर कोई भी बिन्दु नहीं उठाये गये हैं । तहसीलदार द्वारा वर्ष 1991 में जो बटवारा आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः उचित है, क्योंकि बटवारे में प्रत्येक सह खातेदार को हिस्से के मान से भूमि प्राप्त हुई है, इसीलिए अपर आयुक्त द्वारा बटवारा आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर